20रु. बीस रुपये TWENTY 10रु. दस रुपये Rs.10

विलोपित

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /2018 निगरानी

निगरानी- 2914/2018/सागर/भू.रा.

श्रीमती सरिता पत्नि श्री अरविन्द जैन निवासी बाहुवली कालोनी सागर तहसील व जिला सागर म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

1. कलाबाई बेबा स्व श्री धनीराम सैनी फोत–
   1. रेवारामबल्द स्व . धनीराम सैनी
   2. सुरेश कुमार बल्द धनीराम सैनी
   3. डालचंद वल्द धनीराम सैनी
   4. दिनेश बन्द धनीराम सैनी
   5. देवेन्द्र बल्द धनीराम सैनी सभी निवासीगण जगदीश मंदिर के पास म.न. 719 जवलपुर जिला जवलपुर म.प्र. ।
2. बद्री प्रसाद जल्द जयराम सैनी निवासी बन्दावन वार्ड सागर म.प्र.

.........अनावेदकगण

श्री सुनीलसिंह भदौरिया द्वारा आज दि. 10/5/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सुनीलसिंह भदौरिया 10/5/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत अपर कलेक्टर जिला सागर म.प्र. के पुनरीक्षण प्र.क. 15/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2013 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार –:

1. यहकि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त विवादित भूमि मोजा सागर खास [illegible] स्थिति खसरा सर्वे न. 503 कुल रकवा 5.00 एकड भूमि मूल भूमि स्वामी लक्ष्मन माली थे जिनके पांच पुत्र जयराम,हरिराम सीताराम,आशाराम,धनीराम थे उक्त भूमि [illegible] डिक्री हेतु द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश सागर की न्यायालय में अपने अधिकार के वास्ते लक्ष्मन माली में दायर किया जिसका वाद क 76/अ 1951 था जिसका निर्णय

FOR COPYING FEES ONLY FOR COPYING FEES ONLY FOR COPYING FEES ONLY FOR COPYING FEES ONLY

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-2914/2018/सागर/भू.रा. सरिता विरूद्ध कलाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक सरिता की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक ओ.पी.शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 15/बी-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-05-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

30.x.18

4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयकत है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 26-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

30.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य